प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 17.10.2025

➢ **थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल्डाड़ी के हत्थे से मारपीट कर घायल कर देने, जिससे इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों के नियन्त्रण एवं घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 17.10.2025 को अभियुक्त द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने व उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश उर्फ नन्हे पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम प्रतापपुर खास थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया।
विदित हो कि दिनांक 15.10.2025 को वादी पंकज पुत्र भारत कमल निवासी ग्राम प्रतापपुर खास थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त दिनेश पुत्र किशनलाल के द्वारा वादी के दादा(ताऊ) किशनलाल के साथ कुल्हाड़ी के बेट से मारपीट करते हुये गाली गलौज कर मारपीट करना व मारपीट मे किशनलाल को गम्भीर चोट आना व शिकायत करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 308/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता बनाम दिनेश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना में मजरूब किशनलाल पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह की हैलट अस्पताल कानपुर में उपचार के दौरान दिनांक 15.10.2025 को समय करीब 15.00 बजे मृत्यु हो गयी। जांच के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं मुकदमा उपरोक्त के नामित अभियुक्त दिनेश उर्फ नन्हे पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम प्रतापपुर खास थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 17.10.2025 को मुखबिरखास की सूचना पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ समय 06.20 बजे थाना क्षेत्र अन्तर्गत प्रतापपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –
दिनेश उर्फ नन्हे पुत्र किशनलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी प्रतापपुर खास थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 308/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3)/105 बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-
1. एक कुल्हाड़ी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना शिवली पुलिस।